

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

सूची - 14 फार्म सं 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

विविध पुनरोत्पन्नवाद सं 04R15 वर्ष 2013 धारा
 ACTRN- 35R15/2015

अपीलकर्ता/प्रोप0/आवेदक

प्रतिवादी/द्वि0प0/विपक्षी

सहमद खां

वनाम्

खीकी पारिमा खाण


आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्यवाही तिथि सहित
1	2	3
<p>31-08-13 02-09-13</p>	<p>आवेदक सहमद खां पिता स्व० हमीन खां ग्राम- लोधाना थाना-बर्सा जिला- खूँटी ने भूमि सुधार उपसमाप्ती खूँटी के न्यायालय द्वारा वाद संख्या विविध वाद संख्या 06/2012-13 में दिनांक - 20-05-13 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है साथ में क्रिसम वे लिट समग्रसंनि आवेदन दारिजल किया गया है दारिजला बिन्दु पर अनुवाद हेतु दिनांक - 03-09-13 को संवे।</p>	<p>01-09-13 03-09-13</p>

02/09/13

आदेश क्रमांक /दिनांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की पूर्ण कार्रवाई पूर्ण सहित Action taken on order with date
1	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित। बल्कलीन इपर एकाहरी के अन्तर्गत स्थानांतरण होने के कारण आदेश पारित नहीं किया जा सका। अतः बंद की इन्वेन्चर कार्रवाई हेतु पदावली को सूचना निर्गत करें। दिनांक 28.6.19 को रखें।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 21.6.19</p>	<p>38/210 21-06-19</p>
28-06-19	<p>अभिलेख उपस्थापित। आर्किव्ड एवं रिप्ली अनुपस्थित है। वाकिल प्रतिक्रिया प्राप्त है। दिनांक 02-08-19 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">अपर एकाहरी</p>	
02-08-19	<p>आर्किव्ड द्वारा उपस्थिति दी गयी है। रिप्ली अनुपस्थित है। वाकिल प्रतिक्रिया प्राप्त है। दिनांक 16-08-19 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">अपर एकाहरी</p>	
01-07-20	<p>अभिलेख उपस्थापित। सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग आरंभ सरकार राँची के पत्रांक - 332/रां दिनांक - 24-01-20 के द्वारा प्रतिवेदित है The Bihar Tenant's Holding (maintenance of</p>	

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई का दिनांक Action taken on order with date
1	2	3

Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र collector को है न कि Additional collector अथवा Deputy collector को है। अतः उक्त नियम 1 धारा के अन्तर्गत में अपील कारवाई/सुनवाई हेतु अभिलेख उपरोक्त सूची के माध्यम में हस्तांतरित करें।


 1.7.2020
 अपर समाधी
 सूची।

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अपर समाधी सूची के माध्यम से हस्तांतरित होकर प्राप्त है। अभिलेख पर गैर-कारवाई हेतु वाद पंजी में अंकित कर पत्रवाच को सूचना निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक को लें।